राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 22/2013/जयपुर

मैसर्स ए. आर. जी. डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड,
ई 52, चितरंजन मार्ग, सी स्कीम, जयपुर .....प्रार्थी.

बनाम

राज्य सरकार जरिये उप–पंजीयक चतुर्थ, जयपुर .....अप्रार्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.गर्ग, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरना, उप–राज0 अभिभाषक ....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय तिथि 04/07/2017

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी (जिसे आगे **'पार्टनर फर्म'** कहा जायेगा) द्वारा अति0 कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 964/2010 में पारित किये गये आदेश दि. 17.8.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 3.9.1996 को मै0 विशाल एक्जिम प्रा.लि., जयपुर एंव मै. प्रतीक बिल्डकॉन प्रा.लि., जयपुर द्वारा जयपुर स्थित प्लाट सं. 8 व 9, गोपाल बाडी, अजमेर रोड क्षेत्रफल 3096 वर्गगज का क्रय किया गया। उप पंजीयक ने प्रस्तुत दस्तावेज को पंजीबद्ध करते हुए मूल दस्तावेज क्रेतागण को लौटा दिये। मै0 श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन, जयपुर जोकि इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जयपुर की पंजीकृत फर्म है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 13/393/2002 है, की पार्टनरशिप फर्म में दि. 15.9.2006 को 500/– के स्टाम्प पर एक पार्टनरशिप डीड तैयार करते हुए श्रीमती शशि गुप्ता, श्री आत्माराम गुप्ता, मै. प्रतीक बिल्डकॉन प्रा.लि. एंव मै. विशाल एक्जिम प्रा.लि. के मध्य उक्त वर्णित सम्पति को शामिल करते हुए पार्टनरशिप डीड निष्पादित की गयी। तत्पश्चात दि. 9.2.2007 को अन्य पार्टनरशिप डीड निष्पादित करते हुए उक्त चारों पार्टनरों ने अंकित किया कि प्रथम से चतुर्थ व्यक्ति पूर्व में ही मै0 श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन में पार्टनर है एंव वे प्रार्थी फर्म ए.आर.जी. डव. प्रा.लि. को अपना पार्टनर बनाना चाहते है, जिससे उनके मध्य पार्टनरशिप डीड निष्पादित की गयी। दिनांक 9.2.2007 को ही 100/– के स्टाम्प पर एक इकरारनामा निष्पादित करते हुए पार्टनरों ने मै0 श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन (partnership firm) को कम्पनीज एक्ट 1956 के तहत ए.आर.जी. डव. प्रा.लि. कम्पनी में समाहित कर लिया तथा पार्टनरशिप फर्म की सम्पत्तियां एंव जिम्मेदारियां ए.आर. जी. डव. प्रा.लि. कम्पनी में समाहित हो गयी एंव इस हेतु Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur से CERTIFICATE OF INCORPORATION भी नियमानुसार प्राप्त किया गया।

दिनांक 31.3.2007 को 500/– के स्टाम्प पर एक रिटायरमेंट डीड सम्पादित करते हुए श्रीमती शशि गुप्ता, मै. प्रतीक बिल्डकॉन प्रा.लि., मै. विशाल एक्जिम प्रा.लि. एंव श्री आत्माराम गुप्ता पूर्व गठित पार्टनर फर्म से रिटायर हो गये एंव पार्टशिप फर्म खण्डित हो गयी। प्रार्थी फर्म द्वारा उक्त वर्णित भूखण्ड पर निर्मित व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत में क्रेता की हैसियत से दस्तावेज का पंजीयन कराने पर उप पंजीयन ने पूर्व में सम्पादित पार्टनरशिप डीड को पंजीबद्ध नहीं होने एंव 500/– रू.

लगातार.....2

के स्टाम्प पर निष्पादित होने को आधार मानते हुए सम्पत्ति का मूल्यांकन 20,00,45,830/– निर्धारित करते हुए रेफरेंस अति0 कलक्टर मुद्रांक, जयपुर को प्रेषित किया। कलेक्टर(मुद्रांक) ने प्रस्तुत रेफरेंस को यथावत स्वीकारते हुए अधिनियम की धारा 55 के तहत अपना आदेश पारित किया कमी मुद्रांक कर 1,00,02,300/– एंव शास्ति 10 लाख कुल राशि 1,10,02,300/– की मांग सृजित की। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी फर्म द्वारा धारा 65 के तहत कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी राशि जमा करवाते हुए, यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र व शपथपत्र के साथ कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश की गयी है, जिसको स्वीकारते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुणों पर करने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि पार्टनरशिप फर्म के मध्य 500/– रूपये के स्टाम्प पर पार्टनरशिप डीड निष्पादित की गयी है एंव **तत्समय अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 43–क के अनुसार पार्टनरशिप डीड की लिखित 500/– रू0 ही मुद्रांक शुल्क निर्धारित थी, जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 व 18 के तहत पंजीयन करवाया जाना भी अनिवार्य नहीं है। राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 द्वारा पार्टनरशिप डीड में दिनांक 26.3.2012 से अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 43 में संशोधन करते हुए, 26.3.2012 से पंजीबद्ध करवाना अनिवार्य किया गया है, जोकि भूतलक्षी नहीं है। इस प्रकरण में वर्ष 2002 से 2007 के मध्य विभिन्न पार्टनरशिप डीड निष्पादित की गयी है एंव तत्समय 500/– रू0 के स्टाम्प पर पार्टनरशिप डीड निष्पादित किये जाने के विधिक प्रावधान थे एंव उसको पंजीबद्ध कराया जाना भी अनिवार्य नहीं था। पार्टनरशिप फर्म से कम्पनी में समाहित होने पर भी किसी प्रकार का मुद्रांक शुल्क प्रार्भाय नहीं है।** इस बिन्दु पर माननीय आन्ध्रा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.1983 में निर्णित किया है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि कलक्टर मुद्रांक अधिनियम की धारा 55 के तहत अपना निर्णय पारित नहीं कर सकता है, अतः इस तकनीकी बिन्दु पर भी उनका आदेश अपास्तनीय योग्य है।

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने **न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय (1985) 4 सुप्रीम कोंट केसेस 519 सुनील सिद्धथिभाई बनाम सीआईटी, माननीय उच्चतम न्यायालय (2012) 5 सुप्रीम कोंट केसेस 566 यूपी सरकार बनाम अम्बिरश टण्डन, माननीय उच्चतम न्यायालय (2011) 4 सुप्रीम कोंट केसेस 160 हरदेवी बनाम सरकार, (2013) एसटीपीएल वेब 976 एस.सी. सरकार बनाम बसन्त, ए.आई.आर. 1963 पटना 221 फर्म रामसहाय बनाम बिशवानाथ, (1977) 108 आईटीआर 214 इलाहबाद के.डी. पाण्डे बनाम सीटीआई, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 650 बलबीर सिंह बनाम भोगसिंह, ए.आई.आर. 1964 उडीसा 111, ए.आई.आर. 1966 ए.पी. 259 एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय 2.12.2016 एस.बी. सिविल रिट नं0 4402/2013 आशियाना अमर डवलपर्स बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय दि0 2.12.2016 में पार्टनरशिप डीड पर वर्ष 2007 में 500/– के स्टाम्प फीस को उचित माना है एंव उसको पंजीबद्ध कराना भी आवश्यक नहीं माना है तथा राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 43 में हुए संशोधन जोकि दि0 26.3.2012 से प्रभावी है, को इस प्रकरण में बाध्यकारी नहीं माना है।**

लगातार.....3

साथ ही उन्होंने लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत अचल सम्पत्ति जो साझेदार फर्म में साझेदारान द्वारा बतौर पूंजी अंशदान कर योगदान की गयी है और ऐसी अचल सम्पत्ति जो जिन साझेदारान द्वारा साझेदारी फर्म मै0 श्याम कृपा कन्स्ट्रक्शन में योगदान की गयी है और उनके रिटायर होने पर उनके द्वारा ऐसी योगदान की गई अचल सम्पत्ति स्वंय के द्वारा बतौर हिस्सा प्राप्त नहीं की गई अथवा नहीं ले जायी गयी है एंव ऐसी अचल सम्पत्ति फर्म के ऐसे साझेदार को फर्म के विघटन पर अथवा एक साझेदार को छोडकर सभी साझेदारान के सेवानिवृत होने पर प्राप्त हुई है अथवा पार्टनरशिप फर्म से कम्पनी में समाहित हो जाती है, ऐसी सम्पत्ति पर अधिनियम की धारा 21 के तहत कन्वेंस प्रभारित नहीं होगा। इस प्रकरण के तथ्य माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित तथ्यों से एंव माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय निगरानी स0 819/2015 दि. 16.3.2017 मै0 यूनिक बिल्डर्स बनाम सरकार से पूर्णतया समान हैं। अतः माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधिनियम की धारा 65 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु बाध्यकारी रूप से जमा करवायी गयी राशि उनको लौटायी जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा तदनुसार मालियत का निर्धारण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। मुद्रांक अधिनियम के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति में पार्टनरशिप डीड के माध्यम से सम्पत्ति का हस्तानान्तरण किया गया है। चूंकि प्रार्थी फर्म ने पार्टनरशिप डीड से प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में समाहित कर दिया है, जिससे प्रकरण कन्वेन्स की श्रेणी में आता है, जिस पर नियमानुसार मुद्रांक कर देयता बनती है। अतः ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। साथ ही उन्होंने प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर बतलाते हुए उसको ग्राहयता के बिन्दु पर अस्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुणों पर किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में वर्ष 2002 से 2007 में अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 43 का उल्लेख निम्न प्रकार है :–

S.No.	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
43.	(a) Instrument of partnership	Five Hundred Rupees
	(b) Dissolution of partnership	Five Hundred Rupees

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का सांरांश निम्नानुसार है–

(1985) 4 Supreme Court Cases 519

"Income Tax – Capital gains – Transfer of capital assets – Partner of a firm bringing his personal assets viz. shares of limited companies into the firm as his contribution to its capital – Effect – Amounts to 'transfer' of assets under Section 45 r/w 2(47), I.T.Act – No "profits or gains" within Section 45 can arise to the partner from such transfer- Considering the firm to be genuine, held, consideration for transfer of assets in such case not covered by Sec. 45 and 48 and so not taxable – Income Tax Act, 1961, Sec. 45 and 48 – Registration Act, 1908, Sec. 17(1)(b) – Partnership – Extent of ownership of partner once asset brought into the firm."

लगातार.....4

A I R 1963 PATNA 221

Sec. 14 of the Indian Partnership Act reads thus :-

"Subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interests in property originally brought into the stock of firm, or acquired, by purchase or otherwise, by or for the firm, or for the purposes and in the course of the business of the firm, and includes also the goodwill of the business.

Unless the contrary intention appears, property and rights and interests in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm."

It will be noticed that all property and rights and interests which the partners may have brought in the common stock as their contribution to the common business are parts of the partnership property. Even if a property contributed by one partner be an immovable property, no document, registered or otherwise, is required for transferring the property to the partnership. There are similar provisions in the English Partnership Act and the Partnership Act of the U. S. A. .....

"Property originally owned by one or more partners, and used in the business of the partnership, may be joint or separate estate, as the partners agree. Originally separate estate, it may be converted into joint estate without formal conveyance, even without any writing, by a parol agreement made between the partners, without any other act. The oral agreement need not be express. It may be proved by a course of conduct e.g., by entries upon the partnership books".

माननीय आन्ध्रा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.1983 वाली पट्टाबिरामा राव बनाम श्री रामानुज जिनिंग में पार्टनरशिप फर्म से प्रा0लि0 कम्पनी में तबदील होने पर निम्न व्यवस्थान प्रदान की गयी है :–

.....Hence, a partnership which was treated as a company for the purposes of the Companies Act can be registered under part 8 of the previous Act (Part 9 of the present Act) and the vesting is provided by section 263 of the 1913 Act (section 575 of the present Act). The provisions is mandatory and there will be statutory vesting in the corporation so incorporated under the provisions of the Companies Act. The Registrar is bound to give a cerfiticate of registration under section 262 (present section 574) which is a conclusive proof of incorporation, vide section 35 of the present Act that corresponds to section 24 of the previous Act. <u>Hence, it is clear that no conveyance is necessary when a partnership is converted and registered as a company</u>. However, it is not possible to acquire such title statutorily under this section if the previous firm purports to convey title to the company in which event a separate deed of conveyance is necessary. <u>Thus, we hold that if the constitution of the partnership firm is changed into that of a company by registering it under part 9 of the present Act</u> (part 8 of the prvious Act), <u>there shall be statutory vesting of title of all the property of the previous firm in the newly invorporated company without any need for a separate conveyance</u>....."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दि. 2.12.2016 एस.बी. सिविल रिट नं0 4402/2013 आशियाना अमर डवलपर्स बनाम राजस्थान सरकार के सुसंगत तथ्य निम्नानुसार हैं :–

"in the present case, the partnership deed was not registered as the same was not required to be registered. The Instruments that required to be registered are as detailed in Sec 17 of the Registration Act, 1908. It is settled law that when a prtner brings his assets into a partnership firm as his contribution to the capital, a shared interest is replaced by an exclusive interest and there is no transfer of the asset.

लगातार.....5

Thus, the partnership deed was not required to be registered for contributing land as capital by a partner into the partnership firm in view of it having been held by the Hon'ble Apex Court in the case of Addanki Narayanappa and another Vs. Bhaskara Krishnappa (dead) and thereafter his heirs and others reported in AIR 1966 Supreme Court 1300 (V 53 C 251) that the partners constituting the firm have no separate right to their own. The property of the firm means the property in which all partners have a joint or common interest and during the subsistence of the partnership, the value of interest of each partner qua any asset of the firm cannot be isolated or carved out from the totally of the partnership asset".....

"This fact is further evident from the fact that the proper stamp duty prescribed for instrument of partnership under Article 43 of the Schedule to the Rajasthan Stamps Act, 1998 was Rs. 500/- at the relevant time. Accordingly, the partnership deed in the case of the petitioner was executed on a stamp of Rs. 500/- as per the provisions of the Act of 1998. The Act of 1998 came to be amended w.e.f. 26.3.2012 whereby Article 43 of the Schedule was substituted. After the amendment, the proper stamp duty for the instrument of partnership deed for its' share contribution by way of immovable property was the same duty as of conveyance on the market value of such property. The present partnership is of 27-2-2007. In the case of the petitioner firm, as stated above, the said partnership deed was executed on a stamp of Rs. 500/-. Thus, the amended provisions of 2012 had no application. It is, therefore, obvious that the audit objection was based on a clear misconception of the provisions of law and the opinion of the Auditor General that the transfer of the land to the petitioner firm in absence of registered written document amounted to evasion of revenue was without application of mind. Hence, the capital contribution of land could not have been treated as transfer of land inviting the privisons of the Act of 1998"

राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 मे संशोधित राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 43 का विवरण निम्नानुसार है, जो दिनांक 26.03.2012 से प्रभावी है :–

43. Partnership _

(1) Instrument of partnership,-

(a) ..... (b) ....., (c) .....

(2) Dissolution of partnership or retirement of partner,-

(a) where on a dissolution of the partnership or on retirement of a partner any property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership;	**The same duly as on Conveyance (No. 21) on the market value of such the property, subject to a minimum of rupees one hundred.**
(b) in any other case.	**Five hundred rupees.**

मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 43(2)(a) के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भागीदारी फर्म के निर्वतन (retirement) पर कोई सम्पत्ति उस भागीदार (Partner), जो उस सम्पत्ति को भागीदारी में उसके अंशदान के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी अन्य भागीदार द्वारा उसके शेयर के रूप में रख ली जाती है, तो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तानान्तरण पत्र (सं. 21) मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा।

लगातार.....6

यह व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में दिनांक 26.03.2012 से लागू की गई है, जो भूतलक्षी नहीं है। अतः उक्त व्यवस्था इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है क्योंकि इस प्रकरण में पार्टनरशिप फर्म का गठन एवं पार्टनरों का फर्म से निवर्तन (retirement) होना वर्ष 2002 से 2007 के मध्य हुआ है, जबकि कन्वेंस की दर 26.03.2012 से प्रभावी है। दिनांक 26.03.2012 के उक्त संशोधित प्रावधानों के पश्चात उक्त भांति के निष्पादित दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क प्रभारित होना प्रभावित माना है एवं उक्त संशोधन संशोधित प्रावधानों से पूर्व निष्पादित भागीदारी फर्म के संबंध में दस्तावेज से मिले विधिक अधिकारों के तहत देय 500/– रूपये के मुद्रांक कर पर निष्पादित होना विधिसम्मत माना है। इस प्रकार कलक्टर मुद्रांक ने अपने आदेश में अधिनियम के पूर्व अनुच्छेद 43(ए)(बी) एवं दिनांक 26.03.2012 से संशोधित किये गये अनुच्छेद 43(2)(ए) के प्रावधानों का सम्पूर्ण अनुशीलन किये बिना प्रार्थी के अतिरिक्त सभी भागीदारों के वर्ष 2007 में सेवानिवृत होने पर प्राप्त फर्म की अचल सम्पत्ति को कन्वेंस मानकर सम्पत्ति की मालियत पर जो मुद्रांक कर आरोपित किया है, वह उक्त न्यायिक विधिक व्यवस्था के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपास्त किये जाने योग्य है। अतः इस प्रकरण में स्पष्ट है कि पार्टनरशिप फर्म से अन्य पार्टनरों का निर्वतन होने के पश्चात एकल पार्टनर द्वारा प्राइवेट लि0 फर्म में तब्दील होने पर दि0 26.03.2012 से पूर्व मुद्रांक शुल्क प्रभार्य किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णित उक्त प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया समान हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी फर्म द्वारा 500/– के स्टाम्प पर निष्पादित पार्टनरशिप डीड एवं रिटायर्डमेंट डीड पूर्ण मुद्रांकित निर्धारित की जाती है एंव रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 के तहत पार्टनरशिप डीड के पंजीयन की अनिवार्यता नहीं होना निर्णित किया जाता है।

प्रकरण में मै0 श्याम कृपा कन्स्ट्रक्शन **(Partnership firm)** द्वारा दिनांक 9.2.2007 को किया गया इकरारनामा, जिसके द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मै0 ए.आर. जी. डवलपर प्रा.लि. में समाहित हो गयी है, को हस्तान्तरण मानते हुए कन्वेंस माना गया है एंव उस पर मुद्रांक शुल्क आरोपित की गयी। इस संबंध में माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.1983 **Vali Pattabhirama Rao V/s Sri Ramanuja Ginning & Rice (1986) 60 Comp Cases 568 (AP-DB)** का उल्लेख निम्नानुसार है:–

"18. We have already held that the partnership firm in which the original lessee is partner was legally constituted, and the firm continues to be lawful and the properties belonging to all the partners have become the properties of the firm. The question is whether the property of the said firm had vested in the first defendant company when the firm was registered under the provisions of the Indian Companies Act, 1913. For that it is necessary to notice the terms of sec. 263 of the Indian Companies Act, 1913, that corresponds to sec. 575 of the present Companies Act, 1956, sec. 263 reads as follows :

"All property, movable and immovable, incuding all interest and rights in, to and out of the property, movable and immovable, and including obligations and actionable claims as may belong to or be vested in a company at the date of its registration in pursuance of this part, shall on registeration, pass to and vest in the company as incorporated under this Act for all the estate and interest of the company therein".

लगातार.....7

"Hence, a partnership which was treated as a company for the purposes of the Companies Act can be registered under Part 8 of the previous Act (Part 9 of the present Act) and the vesting is provided by sec. 263 of the 1913 Act (Sec. 575 of the present Act)..... Hence, it is clear that no conveyance is necessary when a partnership is converted and registered as a company. However, it is not possible to acquire such title statutorily under this section if the previous firm purports to convey title to the company in which event a separate deed of conveyance is necessary. Thus, we hold that if the constitution of the partnership firm is changed into that of a company by registering it under Part 9 of the present Act, there shall be statutory vesting of title of all the property of the previous firm in the newly incorporated company without any need for a separate conveyance...."

CONVERSION OF A PARTNERSHIP FIRM INTO A COMPANY UNDER PART IX OF THE COMPANIES ACT, 1956 के तहत **STAMP DUTY** का उल्लेख निम्नानुसार है:–

"All movable and immovable properties of the firm automatically vest in the Company. No instrument of transfer is required to be executed and hence no stamp duty is required to be paid"

उपरोक्तानुसार विश्लेषण एंव माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् निर्णीत महत्वपूर्ण प्रकरण उनवानी–**Vali Pattabhirama Rao V/s Sri Ramanuja Ginning & Rice (1986) 60 Comp Cases 568** में स्पष्ट किया है कि भागीदारी फर्म का स्वरूप कम्पनी में बदलने से उसमें पूर्व मौजूद संपत्तियां कानूनन समाहित **(vest)** मानी जाएंगी और ऐसी समाहित संपत्तियों के लिए किसी भी प्रकार से अलग हस्तान्तरण **(separate conveyance)** की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भागीदारी फर्म की समस्त सम्पदा **Estate** और **Interest** कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् परिवर्तित कम्पनी के निगमन के साथ ही समाहित **(vest)** हो जाते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मै0 श्याम कृपा कन्स्ट्रक्शन **(Partnership firm)** द्वारा दिनांक 9.2.2007 को किया गया इकरारनामा, जिसके द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मै0 ए.आर.जी. डवलपर प्रा.लि. में समाहित हो गयी है, में भागीदारी फर्म मै0 श्याम कृपा कन्स्ट्रक्शन की उक्त संपत्ति का समावेश किसी प्रकार से हस्तान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण निर्णयों द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के तहत् सृजित वसूली निरस्तनीय है एवं विभाग का उक्त वसूली आक्षेप सारहीन होने से प्रेषित रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं, कम्पनी एक्ट के पार्ट IX एवं अधिनियम के अनुच्छेद 43 को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अति0 कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर का आदेश दि0 17.08.2012 अपास्त किया जाता है एंव धारा 65 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जमा करवायी गयी राशि बाद सत्यापन नियमानुसार लौटाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

4.7.2017
(मदन लाल)
सदस्य